

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 19/2023 -एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. (अ)- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

- i. खंड (i) में, शब्दों "ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों " या ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन; प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - ii. खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(क) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।";
 - iii. अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

(घ) "कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में इसे दिया गया है।
2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, सा.का.नि. 814 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।